जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./ मु.अ.(सी.एण्ड पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 668 दि. 05.06.09

आदेश

विषयः "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजनान्तर्गत" ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शनों के बारे में।

वर्तमान मे प्रचलित मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जाते है। उक्त योजना के विभिन्न नियम व प्रावधान पूर्व में जारी आदेश संख्या जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी. एडं पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा/प्रे. 326 दिनांक 03.05.08 (वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/435) एवं जेपीडी/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे.405 दिनांक 03.05.08 (सी.ओ–VI), जो.वि.वि.नि.लि./अ.अ.(पीपी एण्ड एम)/जो/फा. एस एण्ड आई/प्रे. 1471 दिनांक 13.08.08, जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी. एडं पी.)/अ. अ.(आर.ए.–सी.)/फा/प्रे. 1003 दिनांक 06.08.08 (वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/446), जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि /मु.अ.(सी.एण्ड पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2170 दि. 02.02.09 (वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/475) के द्वारा लागू किये गये। उपरोक्त विषय में डिस्कॉम कोऑर्डिनेशन फोरम की बैठक दिनांक 20.05.09 में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना की अवधि 31.03.2010 तक बढ़ाई जाती है।
2. मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना में ऐसी ढ़ाणियां जो कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट–2003 में चिन्हित नहीं हैं उनके आवेदन पत्र दिनांक 31.03.09 तक ही लिये जाने थें। इन कनेक्शनों को वित्तीय वर्ष 2009–10 में कनेक्शन दिया जाना है।
3. नेशनल सर्वे रिपोर्ट–2003 में चिन्हित ढ़ाणियों से घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31.03.09 के पश्चात् भी प्राप्त किये जा सकते हैं तथा इन ढ़ाणियों में घरेलू कनेक्शन प्राथमिकता से दिये जायें।
4. पद 2 व 3 में वर्णित चिन्हित एवं अचिन्हित ढ़ाणियों के घरेलू कनेक्शनों के आवदेन पत्रों को वर्ष 2009–10 में कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

(एस.के. कुलश्रेष्ठ)
उप मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है ।